हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 103

बुधवार, 9 मार्च, 2016/19 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2111 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2767 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2760 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2768 से 2806 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 से 1212 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 9 मार्च, 2016 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर :

(1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 41वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 34(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के प्रथम परिनियम, 2016; और

(iii) जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15.

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मन्त्री** ने बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के सथा पटल पर रखीः-

(i) समिति का **124वां मुल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल) पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **125वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न् योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्यय आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **उद्यान विभाग** द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. <u>**सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :**</u>

श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1) (A)(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

प्रस्ताव स्वीकार।

12-08 PM

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :

(1) **श्री महेन्द्र सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"**हाल ही में प्रदेश में फोरलेन हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि का भू-मालिकों को पर्याप्त मुआवज़ा न मिलने**" से उत्पन्न स्थिति।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

i. श्री महेश्वर सिंह
ii. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वश्री महेन्द्र सिंह, गोविन्द सिंह ठाकुर तथा श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(2) **श्री रिखी राम कौंडल** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

दिनांक 29 फरवरी, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार "**विद्युत उप-मण्डल, तलाई के अन्तर्गत जोहड़ कालसाँ में बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन रही लो-वोल्टेज़**" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. <u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चाः-</u>

श्री महेश्वर सिंह ने निम्न विषय पर चर्चा उठाईः-

" दिनांक 4 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2745 के उत्तर से उत्पन्न विषय।"

माननीय सहकारिता एवं आयुर्वेद मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय सहकारिता एवं आयुर्वेद मन्त्री ने उत्तर दिया।

(सदन की बैठक अपराह्न 2.30 बजे वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)